

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1-dta-rj@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ .2(ग)(1) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-1/ 1339

दिनांक :- 21/2/18

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय के कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश / पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र.सं. (1)	लिंक नं. (2)	नाम (सर्वश्री) / पदनाम (3)	वर्तमान विभाग (4)	अतिरिक्त कार्य का विभाग (5)	अतिरिक्त कार्य का पद (6)
1	717	बद्रीनारायण मून्दडा / सहायक लेखाधिकारी. ग्रेड - प्रथम	अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, अजमेर - 1012	अधीक्षक, जनाना अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा विभाग, अजमेर - 19247	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम
2	4509	बुद्धराज खटनाल / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम	आयुक्त, नगर परिषद(एक्स काडर), ब्यावर, अजमेर - 1000062	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ब्यावर, अजमेर - 20349	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम
3	1662	गणपत लाल / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, शिवगंज, सिरौही - 10312	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, शिवगंज, सिरौही - 22371	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम
4	780	लुम्भाराम चौधरी / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, सिणधरी, बाड़मेर - 33293	जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, बाड़मेर - 1064	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम
5	489	प्रकाश चन्द्र कटारिया / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम	अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, उदयपुर - 1018	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर - 3427	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ .2(ग)(1) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-1/ 1339

दिनांक :- 21/2/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II) / संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित निजी पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)